45

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स सं० डब्लू० पी०—41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 1988
चैत्र 11, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

Amending Acts
14/88
15/90

संख्या 450/सत्रह-वि-1-1 (क) 2-1988
लखनऊ, 31 मार्च, 1988

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988 पर दिनांक 31 मार्च, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1988

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1988)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के लिये एक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड स्थापित करने और उससे सम्बद्ध और आनुषंगिक विषयों के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय—एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 15 फरवरी, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

लागू होना

2—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध समूह "ग" के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, जैसा राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, लागू होंगे :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी पद को बोर्ड के कार्य-क्षेत्र से हटा सकती है ।

(2) बोर्ड, किसी प्राधिकरण, सरकारी कम्पनी या सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन निगम या सार्वजनिक संस्था के अनुरोध पर और राज्य सरकार के अनुमोदन से, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिसके अन्तर्गत फीस भी है, जैसा संमत हो, ऐसे प्राधिकरण, कम्पनी, निगम या संस्था के अन्तर्गत पदों पर भर्ती से सम्बद्ध विषयों के बारे में उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है ।

अपवाद

3—इस अधिनियम की कोई बात—

(क) राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सचिवालय में,

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन,

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन,

(घ) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अधीन नियुक्त लोक आयुक्त के अधीन,

(ङ) पुलिस अधिनियम, 1961 द्वारा नियंत्रित,

किसी पद पर भर्ती के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी ।

परिभाषाएं

4—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में तत्समय ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है ;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से है ;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है ;

(घ) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है और सदस्य के अन्तर्गत बोर्ड का अध्यक्ष भी है ;

(ङ) "सचिव" का तात्पर्य बोर्ड के सचिव से है ;

(च) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

अध्याय—दो

बोर्ड की स्थापना

बोर्ड की स्थापना

5—(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा जिसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कहा जाएगा ।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा ।

बोर्ड की संरचना

6—(1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और पांच से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे :

परन्तु बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य यथासम्भव ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी-अपनी नियुक्ति के दिनांक को केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद या पदों को कम से कम दस वर्ष तक धारण कर चुके हों जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से या ऐसे अन्य पद से नीचे का न हो जिसे राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित किया जाय ।

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय या यदि ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो

तो उन कर्तव्यों का पालन, जब तक कि धारा 7 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, यथास्थिति, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर ले, बोर्ड के ऐसे एक सदस्य द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

सदस्यों की नियुक्ति

7—बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायगी।

सदस्य को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

8—(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि—

(क) वह राज्य सकार की राय में अवचार या मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो, या

(ख) वह दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाय।

(2) यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के अभिकथित अवचार या दुर्बलता की जांच, उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जाय, की जाएगी।

(3) यदि अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा में किसी प्रकार से सम्बद्ध या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ में या उससे उद्भूत होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में किसी प्रकार से सम्मिलित होता है तो उसे उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अवचार का दोषी समझा जायगा।

(4) राज्य सरकार किसी सदस्य को, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही अनुध्यात हो, लिखित आदेश द्वारा निलम्बित कर सकती है।

सदस्यों द्वारा अन्य पदों को धारण करने के संबंध में प्रतिषेध

9—पद पर न रहने पर कोई सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवायोजन के लिए पात्र न होगा।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

10—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि उसकी आयु बासठ वर्ष की न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(2) कोई सदस्य अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, किन्तु उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि के पश्चात् अध्यक्ष या सदस्य के पद पर पुनर्नियुक्त किये जाने या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) किसी सदस्य की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं, तथापि किसी सदस्य की सेवा के निबन्धन और शर्तों में उसके पद पर बने रहने के दौरान प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जायगा।

सहयुक्त करने की शक्ति

11—बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो धारा 27 के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायं, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए लेना चाहे।

बोर्ड की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

12—बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायगी कि—

(क) बोर्ड के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है,

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है, या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है तत्वतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

बोर्ड का कर्मचारिवर्ग

13—(1) बोर्ड का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार द्वारा पांच अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायगा और उसकी सेवा क ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त सकता है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्मचारियों की भर्ती की रीति और निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विनियमों में निर्धारित की जायं।

बोर्ड के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

14—बोर्ड के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त बोर्ड प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय—तीन

बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य और कार्य का आवंटन

शक्तियां और कर्तव्य

15—(1) बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् —

(क) भर्ती की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्ग-दर्शक सिद्धान्त त करना ;

(ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों चयन करना ;

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन क और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना ;

(घ) विशेषज्ञों और परीक्षकों की उपलब्धियां और यात्रा भत्ते और अ भत्ते नियत करना ;

(ङ) बोर्ड को सौंपी गयी निधि का प्रबन्ध करना ;

(च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों : प्रयोग करना, जैसी विहित की जायं।

(2) बोर्ड उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों ए पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जायं, मा: दर्शित होगा।

कार्य जो बोर्ड द्वारा किया जायगा

16—बोर्ड अपना कार्य, जिसके अन्तर्गत उसके कृत्यों का अध्यक्ष या अन सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगी और ऐसे विनियमों के अनुसार किय गया कार्य, बोर्ड द्वारा किया गया कार्य समझा जायगा :

परन्तु राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपान्तरित रूप में अपना अनुमोदन दें।

अध्याय—चार

रिक्तियों की अधिसूचना और नियुक्तियां

रिक्तियों की अधिसूचना

17—(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान बोर्ड के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना बोर्ड को देगा।

(2) रिक्तियों की सूचना बोर्ड को ऐसी रीति से दी जायगी जैसी विहित की जाय।

49

बोर्ड द्वारा चयन

18—(1) बोर्ड, धारा 17 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची विहित रीति से तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से नियुक्तियां उसमें उल्लिखित क्रम में करेगा।

अध्याय—पांच

बोर्ड के समक्ष कार्य

बैठक में निर्णय

19—बोर्ड की किसी बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और अध्यक्ष या इस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मतदान नहीं करेगा किन्तु मतों के बराबर-बराबर होने की स्थिति में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

गणपूर्ति

20—बोर्ड की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति तत्समय सदस्यों की कुल संख्या की आधी से होगी :

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

अध्याय—छः

बोर्ड की निधि, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

बोर्ड को धन-राशि संदत्त करना

21—राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोजन किये जाने के पश्चात् बोर्ड को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी, जैसी इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक हो।

बोर्ड की निधि

22—(1) बोर्ड की अपनी निधि होगी और राज्य सरकार द्वारा उसे संदत्त समस्त धनराशि और बोर्ड की समस्त प्राप्तियां उस निधि में जमा की जायेंगी और बोर्ड द्वारा सभी भुगतान उस निधि से किये जायेंगे।

(2) उस निधि का सभी धन ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति से विनिहित किया जायगा जैसा बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए अवधारित करे।

वार्षिक रिपोर्ट

23—बोर्ड प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायगा, और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

लेखा और लेखा-परीक्षा

24—(1) बोर्ड ऐसी लेखा बहियां और अन्य रजिस्टर या अभिलेख ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, रखवायेगा।

(2) बोर्ड, अपना लेखा बन्द करने के पश्चात् यथाशीघ्र लेखाविवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा और उसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखा-परीक्षा के लिए महालेखाकार को ऐसे दिनांक तक अग्रसारित करेगा जैसा राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से अवधारित करे।

(3) बोर्ड का वार्षिक लेखा-परीक्षा, परीक्षा रिपोर्ट के साथ, राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायगा और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

25—(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचित आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते

हुए, चाहे वे उपान्तर, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीची समझे, प्रमावी होंगे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष पश्चात नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

नियम बनाने की शक्ति।

26—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

27—(1) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन से जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन चयन करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिए फीस लेना भी है, सम्बन्धित विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

सद्‌भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

28—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्‌भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

29—किसी अन्य अधिनियम, नियम या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

निरसन और अपवाद

30—(1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा उ निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

श्रीनाथ सहाय,

सचिव

No. 450 (2)/XVII-V-1-1 (KA) 2/1988

Dated Lucknow, March 31, 1988

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhinasth Sewa Chayan Board Adhiniyam, 1988, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 31, 1988.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD ACT, 1988

(U.P. Act No. 7 of 1988)

(As passed by the U.P. Legislature)

AN

ACT

to establish a Subordinate Services Selection Board for certain categories of subordinate services and for matters connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board Act, 1988.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on February 15, 1988.

Applicabilty

2. (1) The provisions of this Act shall apply in relation to direct recruitment to all such group 'C' posts, including posts in the Civil Secretariat as may, from time to time, be specified by the State Government by notification in this behalf :

Provided that the State Government may, by notification, withdraw any post from the purview of the Board.

(2) The Board may, on the request of any authority, Government Company or Corporation, owned or controlled by the Government or public institution, and with the approval of the State Government, undertake, on such terms and conditions, including fees, as may be agreed upon, to serve the needs of such authority, company, corporation or institution in regard to matters connected with recruitment to posts thereunder.

Exception

3. Nothing in this Act shall apply to recruitment to any post—

(*a*) in the Secretariat of each House of the State Legislature,

(*b*) under the High Court or the Court subordinate thereto ;

(*c*) under the State Public Service Commission ;

(*d*) under the Lok Ayukta appointed under the Uttar Pradesh Lok Ayukta and Up-Lok Ayuktas Act, 1975 ;

(*e*) governed by the Police Act, 1861.

Definitions

4. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "appointing authority" in relation to any service or post means the authority empowered to make appointment to such service or post for the time being ;

(*b*) "Board" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board constituted under section 5 of this Act ;

(*c*) "Chairman" means the Chairman of the Board ;

(*d*) "Member" means a member of the Board and includes the Chairman ;

(*e*) "Secretary" means the Secretary of the Board ;

(*f*) "year of recruitment" means the period of twelve months commencing on the first day of July of a Calendar Year.

CHAPTER II
ESTABLISHMENT OF THE BOARD

Establishment of the Board

5. (1) There shall be established a Board, to be known as the "Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board", with effect from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

(2) The Board shall be a body corporate.

Composition of the Board

6. (1) The Board shall consist of a Chairman and such other members, not exceeding five, as the State Government may determine from time to time :

Provided that not less than one-half of the members of the Board shall, as far as possible, be persons who on the date of their respective appointments have, for at least ten years, held post or posts under the Central or State Government, not below the rank of Joint Secretary to the State Government or such other post, as may be declared by the State Government to be equivalent thereto.

(2) If the office of the Chairman becomes vacant or if such Chairman is by reason of absence or for any other reason unable to perform the duties of his office, those duties shall, until some person appointed under section 7 has

assumed office or, as the case may be, until the Chairman has resumed his duties, be performed by such one member of the Board as the State Government may appoint for the purpose.

Appointment of Members

7. The Chairman and other members of the Board shall be appointed by the State Government.

Power of the State Government to remove the member

8. (1) The State Government may, by order, remove from office the Chairman or any other member, as the case may be, if—

(a) he is, in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of misconduct or infirmity of mind or body, or

(b) he is adjudged to be insolvent.

(2) The investigation into the alleged misconduct or infirmity of the Chairman or members, as the case may be, shall be made by a sitting judge of the High Court in accordance with such procedure, as may be prescribed.

(3) If the Chairman or any other member is or becomes in any way concerned or interested in any contract made by or on behalf of the Government or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom, he shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be guilty of misconduct.

(4) The State Government may, by order in writing suspend any member in respect of whom action under sub-section (1) is contemplated.

Prohibition as to holding of other offices by members

9. On ceasing to hold office, a member shall be eligible for appointment as Chairman or member of the State Public Service Commission, but not for any other employment under the State Government.

Terms of office and conditions of service of members

10. (1) Subject to the provisions of this Act, a member shall hold office for a term of five years from the date he enters upon his office or until he attains the age of 62 years, whichever be earlier.

(2) A member shall be eligible for appointment as Chairman but shall not be eligible for re-appointment or continuance in office either as member or Chairman after the period mentioned in sub-section (1).

(3) A member may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government but he shall continue in office until his resignation is accepted.

(4) The terms and conditions of service of a member shall be such as may be prescribed so, however, that the terms and conditions of service of a member shall not be varied to his disadvantage during his continuance in office.

Power to Associate

11. The Board may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations made under section 27, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provisions of this Act.

Proceedings of the Board not to be invalidated

12. No act or proceeding of the Board shall be deemed to be invalid merely on the ground of—

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Board;

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as member thereof; or

(c) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the substance.

Staff of the Board

13. (1) There shall be a Secretary of the Board who shall be appointed by the State Government, on deputation, for a term of five years and the conditions of his service shall be such as may be prescribed.

(2) The Board may appoint such other employees as it may consider necessary for the efficient performance of its functions under this Act.

(3) The method of recruitment and terms and conditions of service of the employees, referred to in sub-section (2), shall be such as may be laid down by regulations.

Authentication of the orders of the Board

14. All the decisions and orders of the Board shall be authenticated by the signature of the Secretary or any other officer authorised by the Board in this behalf.

CHAPTER III

Powers and Duties of the Board and Allocation of Business

Powers and duties

15. (1) The Board shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to prepare guidelines on matters relating to the method of recruitment;

(*b*) to conduct examinations, hold interview and make selection of candidates;

(*c*) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes specified in clause (*b*);

(*d*) to fix emoluments and travelling and other allowances of the experts and examiners;

(*e*) to administer the funds placed at the disposal of the Board;

(*f*) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed.

(2) In exercising the powers or performing the duties, referred to in sub-section (1), the Board shall be guided by such rules or regulations as may be made in this behalf.

Business to be transacted by the Board

16. The Board shall, with the previous approval of the State Government make regulations for the convenient transaction of its business, including performance of its functions by the Chairman or other members or a committee thereof and the business transacted in accordance with such regulations shall be deemed to have been transacted by the Board:

Provided that it shall be lawful for the State Government to accord approval to any such regulation either in original or in modified form.

CHAPTER IV

Notification of Vacancies And Appointments

Notification of vacancies

17. (1) The appointing authority shall determine and intimate to the Board the number of vacancies to be filled through the Board during the course of the year of recruitment as also the number of the vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories in accordance with the orders of the State Government issued from time to time.

(2) The vacancies shall be notified to the Board in such manner as may be prescribed.

Selection by the Board

18. (1) The Board shall, as soon as possible after the intimation of vacancies under section 17, hold examination or interview or both and prepare in the manner prescribed a list of the candidates who are found suitable.

(2) The list referred to in sub-section (1) shall be forwarded to the appointing authority and the appointing authority shall make appointments from the list so forwarded to it in the order mentioned therein.

CHAPTER V

Business Before The Board

Decision in meeting

19. All questions at any meeting of the Board shall be determined by a majority of the members, other than the Chairman present and voting and the Chairman or person acting as such shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.

Quorum

20. The quorum for a meeting of the Board shall be one-half of the total number of members for the time being:

Provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum.

CHAPTER VI

Fund of The Board, Annual Reports And Accounts

Payment to the Board

21. The State Government may, after due appropriation made by it in this behalf, pay to the Board in each financial year such sum as may be necessary for the performance of the functions of the Board under this Act.

Fund of the Board

22. (1) The Board shall have its own fund and all sums paid to it by the State Government and all receipts of the Board shall be credited to the fund and all payments by the Board shall be made therefrom.

(2) All moneys belonging to the Fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as may, subject to the approval of the Government, be determined by the Board.

Annual reports

23. The Board shall prepare every year, in such form and in such manner as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be forwarded to the State Govevrnment and the State Government, shall cause the same to be laid before both the Houses of the State Legislature.

Accounts and Audit

24. (1) The Board shall cause to be maintained such books of accounts and other registers or records in such form and in such manner, as the State Government may, by general or special order direct.

(2) The Board shall, as soon as may be after closing its accounts, prepare a statement of accounts in such form as may be prescribed and forward the same to the Accountant General, by such date as the State Government may, in consultation with the Accountant General determine, for audit under section 14 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

(3) The annual accounts of the Board, together with the audit report shall be forwarded to the State Government and the State Government shall cause the same to be laid before both Houses of the State Legislature.

CHAPTER VII

Miscellaneous

Power to remove difficulties

25. (1) The State Government may, for the purpose of removing difficulty, by a notified order, direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptation, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of the commencement of the Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called into question on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

Power to make rules

26. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of the Act.

Power to make regulations

27. (1) The Board may, with the previous approval of the State Government, make or amend regulations relating to the discharge of its functions under the Act including charging of fees for holding examinations or interviews or both for making selection under the Act.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of the Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith

28. No suit, prosecution or other proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

29. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other Act, rules or orders. Act to have overriding effect

U. P. Ordinance no. 2 of 1988 30. (1) The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board Ordinance, 1988, is hereby repealed. Repeal and saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order
S. N. SAHAY,
Sachiv

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 2250 रजस्व (हि०)-(4554)-1988-1830 (मेक०)।